न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 26/2015 (उदयपुर डिक्री)

श्री शांतिलाल पिता भगा जी भील निवासी माहाराज की खेड़ी तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)

..... अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्रीमती कमली बेवा रामा भील निवासी भटेवर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
2. श्री शंकरलाल पिता गोदा जी भील निवासी भटेवर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
3. श्री डालचन्द पिता गोदा जी भील निवासी भटेवर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)
4. श्रीमती लोगरी बाई पत्नी गोदा जी भील निवासी भटेवर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर दिनांक 10–6–2015 प्रकरण संख्या 450/2012 राजस्व वाद

———

उपस्थित :–1– श्री सुनील शर्मा अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री हुक्मीचन्द सांगावत रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1

————/————

निर्णय **दिनांक 12–03–2018**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 वादी द्वारा अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्ट प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भटेवर में वादपत्र की कलम संख्या–1 वर्णित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के 1/2 तथा उदा

पिता कृष्णा 1/2, आराजी नंबर 1891 में दर्ज है तथा आराजी नंबर 1886, 1890, 1912, व 1913 कूल किता–4 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा प्रतिवादी संख्या–1 से 3 के नाम दर्ज है। आराजी नंबर 1811 रकबा 9 बिस्वा प्रतिवादी संख्या–4 शांतिलाल के नाम पर विक्रय होकर वर्तमान में आवासीय दर्ज है।

पक्षकारान के सजरे में वादपत्र की कलम संख्या–2 अनुसार मूल पुरूष भूरा के 2 पुत्र धर्मा व वरदा थे। धर्मा के पुत्र लोगर व पौत्र रामा की पत्नी वादिया कमली है। इसी प्रकार वरदा के पुत्र गोदा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 3 है। आराजी संख्या 1891 में 1/4 हिस्सा पहले वादिया के पति रामा की खातेदारी में था, जिसमें वादिया उसकी उत्तराधिकारी है। इसी प्रकार आराजी नंबर 1811, 1886, 1890, 1912, व 1913 कूल किता–5 रकबा 2 बीघा में रामा का 1/2 हिस्सा था व उसके बाद रामा की उत्तराधिकारी वादिया है। रामा के हिस्से की उक्त भूमियां पर वादिया ही काबिज है, परन्तु रामा की मृत्यु के बाद वरदा ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर रामा की विरासत गलत रूप से अपने नाम दर्ज करा ली तथा वरदा के बाद यह आराजीयात गोदा व गोदा के बाद प्रतिवादी संख्या–1 से 3 गोदा के वारिसान के नाम दर्ज हो गई तथा प्रतिवादी संख्या–1 से 3 ने आराजी नंबर 1811 रकबा 9 बिस्वा प्रतिवादी संख्या–4 शांतिलाल को नुमाईशी विक्रय कर दी, जो कागजों में आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज है। उक्त आवासीय प्रयोजन सम–परिवर्तन विधि विरूद्ध व प्रारम्भ से प्रभाव शून्य है। वादिया ने वाद विवरण अनुसार खातेदार अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा तथा आज्ञापक स्थाई निषेधाज्ञा की मांगी की।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 18–9–2007 से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही कर वादिया का वाद डिक्री कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 18–9–2007 को आदेश–9, नियम 13 जाब्ता दीवानी के तहत कार्यवाही कर अपास्त करते हुए प्रकरण को 21–7–2008 को पुनः दर्ज किया तथा प्रकरण में प्रतिवादी संख्या–4 के अलावा शेष की अनुपस्थिति में प्रतिवादी संख्या–4 का जवाब प्रस्तुत हुआ तथा दिनांक 22–12–2008 से प्रकरण दिनांक 6–2–2012 तक तनकीयात में लम्बित रहा। दिनांक 21–3–2012 को वादिया का वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया।

दिनांक 17–2–2012 को पुनः दिनांक 21–3–2012 को अदम हाजरी, अदम पैरवी आदेश को खारिज कर प्रकरण को पुनः नबर पर लिया गया। आदेशिका दिनांक 5–6–2013 अनुसार प्रकरण में तनकीयात कायम की गई। प्रकरण में दिनांक 19–5–2014 को आदेश–7, नियम–11 जाब्ता दीवानी का आवेदन अपीलान्ट प्रतिवादी द्वारा पेश किया गया, जिस पर बहस के लिए पत्रावली दिनांक 11–5–2015 तक विचाराधीन रही। दिनांक 11–5–2015 के बाद दिनांक 10–6–2015 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को लोक अदालत में रखकर वादिया तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की उपस्थिति में प्रतिवादी संख्या–4 की अनुपस्थिति में राजीनामा करते हुए वादिया का वाद घोषणा व निषेधाज्ञा का डिक्री कर दिया।

अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 10–6–2015 से रूष्ट होकर अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या–4 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 30–6–2015 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट की और से अधिवक्ता श्री हुक्मीचन्द सांगावत ने उपस्थिति दी। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2,, 3, 4 की और से अधिवक्ता श्री जी.एल. शर्मा ने उपस्थिति दी, परन्तु बहस में वे उपस्थित नहीं हुए।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध है। अधिनसथ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुचित किये बिना प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट सद्भावी क्रेता होकर भूमि वाद दायरी के समय से आबादी है। वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 दुर्भिसन्धि की है। वादिया रामा की उत्तराधिकारी नहीं है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि प्रकरण में अधिनस्थ

न्यायालय द्वारा प्रकरण को लोक अदालत में रखते समय अपीलान्ट को सूचना नहीं दी है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया ही प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। आश्चर्यजनक रूप से प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 जिनके विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही थी, उनके तथा वादिया रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 के मध्य राजीनामें के मूल विवाद बिन्दू वादिया तथा अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या–4 के मध्य होने के बावजूद अपीलान्ट प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। प्रकरण में तनकीयात कायम शुदा थी तथा अपीलान्ट प्रतिवादी का आदेश–7, यिनयम 11 जाब्ता दीवानी का आवेदन भी लम्बित था तथा वाद दायरी दिनांक को भूमियां आबादी में थी, इन सब बिन्दुओं का तथा आवेदन का विधिक निस्तारण किये बिना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तथा प्राकृतिक न्याय व विधिक प्रकिया के विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अतएव अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय, तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10–06–2015 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि प्रकरण में हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखकर पेश शुदा लम्बित आवेदन का निस्तारण कर तदनन्तर आवश्यकतानुसार प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्यवाही सुनिश्चित कर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 14–5–2018 को उपस्थित होवें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12–03–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर